

प्रेस नोट

थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत दिनांक 16.09.2020

थाना बिलसण्डा, पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री संचालन करते हुये अभियुक्त चन्द्रसेन पुत्र कोमल प्रसाद नि0 ग्राम जिदपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को मय शस्त्र तथा शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तारी के सम्बन्ध में

थाना बिलसण्डा, पीलीभीत पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुये अभियुक्त चन्द्रसेन पुत्र कोमल प्रसाद नि0 ग्राम जिदपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को मय 04 अवैध तमन्चे जिसमें 02 देशी तमन्चे 315 बोर व 02 देशी तमन्चे 12 बोर तथा 02 अदद बन्दूक 12 बोर मय कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित दिनांक 15.09.2020 को समय करीब 23.25 बजे रामशरण वर्मा का आम का बाग वाहद ग्राम पहाड़गंज से थाना बिलसण्डा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है जो काफी लम्बे समय से अवैध शस्त्र फैक्ट्री के संचालन अपने साथी नन्हे लागुरिया पुत्र बन्ने नि0 ग्राम पहाड़गंज थाना बिलसण्डा, पीलीभीत के साथ कर रहा था। जिस पर शस्त्र फैक्ट्री व शस्त्र अधिनियम के लगभग आधा दर्जन अभियोग थाना हाजा पर पंजीकृत है।

आपराधिक इतिहास अभि0 चन्द्रसेन पुत्र कोमल प्रसाद नि0 ग्राम जिदपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	चालानी थाना
01.	171/18	3/25 आर्म्स एक्ट	बिलसण्डा
02.	499/18	5/25 आर्म्स एक्ट	बिलसण्डा
03.	99/19	5/25 आर्म्स एक्ट	बिलसण्डा
04.	100/19	3/25 आर्म्स एक्ट	बिलसण्डा
05.	343/20	5/25 आर्म्स एक्ट	बिलसण्डा
06.	444/20	3/25 आर्म्स एक्ट	बिलसण्डा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

01. प्रभारी निरीक्षक—श्री विरजा राम
02. व0उ0नि0 श्री गौरव विश्वाई
03. उ0नि0—श्री दीपचन्द
04. हे0का0 223 भुवनेश कुमार शर्मा
05. का0 571 राजेश कुमार
06. का0 1055 विक्रान्त